Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
Available online at : www.shisrrj.com
OPEN ACCESS
© 2023 SHISRRJ | Volume 6 | Issue 6
ISSN : 2581-6306
doi : https://doi.org/10.32628/SHISRRJ

हिंदी कथा साहित्य एवं सिनेमा में लिव-इन से उत्पन्न संतान

नाज़नीन कौसर
शोधार्थी, जामिया मिलिया इस्लामिया

Article Info

Publication Issue :
November-December-2023
Volume 6, Issue 6

Page Number : 135-140

Article History
Received : 02 Dec 2023
Published : 21 Dec 2023

सरांश: बाज़ारवाद ने बदलते परिदृश्य में मूल्यों व संबंधों को सर्वाधिक प्रभावित किया है । ज़िम्मेदारियों से भागती इस पीढ़ी ने स्थापित मूल्यों एवं संबंधों के प्रति जो उदासीनता प्रकट की बाज़ार ने उसे ही भुनाया है । संबंधों में प्रतिबद्धता की कमी एवं महत्वकांक्षा की होड़ के कारण विवाह में देरी बहुत आम बात हो गई । इस रिक्तता को लिव-इन ने भरने की कोशिश की है । विवाह संस्कार के बिना जोड़े साथ रहने लगे और मुख्यधारा के समाज में एक नए तरह का संबंध (सहजीवन/लिव-इन) अस्तित्व में आया । विवाह संस्कार के बिना साथ रह रहे जोड़े आपसी सहमति से इस संबंध में आते हैं और संबंधों की मधुरता ही इसे दीर्घायु बनाती है । इसमें विवाह संस्था जैसी सामाजिक बाध्यता या दबाव भी नहीं है । कोर्ट की वैधानिक मान्यता के बावजूद इसे अभी तक मुख्य धारा की सामाजिक मान्यता नहीं मिली है । इस दिशा में हिंदी कथा साहित्य एवं सिनेमा ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज की है । हालाँकि जिस गति से लिव-इन रिलेशनशिप दिन-प्रतिदिन युवाओं में ख्याति प्राप्त कर रहा है उसकी तुलना में ये प्रयास बहुत कमज़ोर साबित होते हैं ।

मूल शब्द: लिव-इन रिलेशन, सिनेमा में लिव-इन, लिव-इन और बच्चे, कथा सहित्य में लिव-इन ।

भारतीय समाज के संदर्भ में विवाह कोई समझौता या बंधन नहीं अपितु संस्कार (त्रयोदय संस्कार) है जबकि लिव-इन रिलेशनशिप संस्कार नहीं अपितु नव उदारवाद की गोद से उपजा एक अनुबंध है, जो भारतीय समाज में बहुत पहले से उपस्थित था । नव उदारवाद, घोर वैयक्तिकता, भौतिकवाद एवं क्षणवाद ने इसे वह खाद-पानी दिया जिससे यह इतने कम समय में मुख्य धारा में अपनी जगह बना पाया । विश्वग्राम की अवधारणा को इंटरनेट ने और अधिक पुख़्ता किया है । साथ ही भौतिकवादी संस्कृति का खुलकर स्वागत किया है । दिन-प्रतिदिन भारतीय संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति को आत्मसात करती जा रही है । सामाजिक रीति रिवाज़ों में भी अमूल-चूल परिवर्तन हो रहे हैं । यह बदलाव प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जीवन के विभिन्न प्रसंगों को प्रभावित कर रहा है । इन बदलाओं में इस बीच लिव-इन ने सर्वाधिक ख्याति प्राप्त की है । लिव-इन रिलेशनशिप के लिए हिंदी में 'सहनिवास' शब्द का प्रयोग किया जाता है । 'प्रभात बृहद हिन्दी कोश' में इसे 'सह+निवास' के रूप में दर्शाते हुए इसका अर्थ "एक साथ रहने वाले"[1] बताया गया है ।

बाज़ारवाद ने इस बदलते परिदृश्य में मूल्यों व संबंधों को सर्वाधिक प्रभावित किया है । ज़िम्मेदारी से भागती इस पीढ़ी ने

Copyright © 2023 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution **4.0 International License (CC BY-NC 4.0)** which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium for non-commercial use provided the original author and source are credited.

स्थापित मूल्यों एवं संबंधों के प्रति जो उदासीनता प्रकट की, बाज़ार ने उसे ही भुनाया है । संबंधों में प्रतिबद्धता (फ़ियर ऑफ़ कमिटमेंट) के डर को भाँपते हुए बाज़ार 'टिंडर' एवं 'बंबल' जैसे 'ऐप' थाली में सजाकर युवाओं को परोस रही है । देखते ही देखते ऐसी ऐप्स की बाढ़ आ गई है । लिव-इन और वन नाइट स्टैंड अब आम बात हो गई है । युवा पीढ़ी ने इस बदलाव का खुलकर स्वागत किया । वैश्वीकरण, तकनीक एवं संचार क्रांति ने सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा दिया जिसके परिणामस्वरुप ठोस सांस्कृतिक परिवर्तन आया । बाज़ार में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के आगमन से 'वर्क कल्चर' में भी बदलाव आया । इस बीच महिलाओं की सोच व स्थिति में भी अमूल-चूल परिवर्तन आया और महिलाएं भी अर्थ सत्ता पर काबिज़ होने लगी । अब वह स्वतंत्रता की माँग ही नहीं कर रही अपितु स्वतंत्रता का उपभोग भी कर रही हैं । करियर ग्रोथ एवं आगे बढ़ने की महत्वकांक्षा ने स्त्री-पुरुष में 'फियर ऑफ़ कमिटमेंट' को जन्म दिया, जिसके कारण अब नौकरीपेशा व्यक्ति के लिए विवाह में देरी बहुत आम बात हो गई । एक ओर युवाओं को विवाह के बंधन में बँधने का डर भी है, तो दूसरी ओर अपनी व्यस्त दिनचर्या से थक हारकर सुकून के दो पल गुज़ारने के लिए एक साथी भी चाहिए । इस गैप को 'लिव-इन' की ने भरने की कोशिश की । विवाह संस्कार के बिना जोड़े साथ रहने लगे और समाज में एक नए तरह का संबंध (सहजीवन/लिव-इन) अस्तित्व में आया । बिना विवाह संस्कार के साथ में रह रहे जोड़े आपसी सहमति से इस संबंध में आते हैं जिसमें संबंधों की मधुरता ही इसे दीर्घायु बनाती है, संबंधों में कटुता आते ही लिव-इन पार्टनर आपसी सहमति से अलग भी हो जाते हैं । इसमें विवाह संस्था जैसी सामाजिक बाध्यता या दबाव भी नहीं है । लिव-इन रिलेशनशिप की बढ़ती संख्या, उसमें आने वाली अड़चनें एवं किसी एक पार्टनर के द्वारा दूसरे पार्टनर का ग़लत इस्तेमाल करने जैसी समस्याएं दिन प्रतिदिन आ रही हैं । अत: इसे मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान की धारा 21 के तहत लिव-इन को वैधता देते हुए 'living together is a right to live' कहा । सुप्रीम कोर्ट दिन-प्रतिदिन इसे न्यायिक दायरे में लाने की नज़ीर पेश कर रही है । कोर्ट की वैधानिक मान्यता के बावजूद इसे अभी तक मुख्यधाराई सामाजिक मान्यता नहीं मिली है । जब तक मुख्य धारा का समाज इसे सामाजिक मान्यता नहीं देगा और इसके प्रति उदासीन रहेगा तब तक 'श्रद्धा' एवं 'सरस्वती' जैसी लिव-इन पार्टनर की निर्मम हत्या पर समाज स्त्रियों की स्वतंत्रता पर सवाल उठाता रहेगा । विवाह संस्था में हिंसा, क्लेश, आत्महत्या, पार्टनर या परिवार द्वारा पत्नी को ज़िंदा जला देने जैसी घटनाएँ इसलिए समाचार में इतनी सनसनी नहीं ला पाती हैं क्योंकि समाज विवाह के नाम पर होने वाली बर्बरता को चुपचाप हज़म कर जाता है । जबकि लिव-इन की अवधारणा भारतीय समाज के लिए पश्चिम से आयातित नहीं है । लिव-इन का चलन उत्तर-पश्चिमी राजस्थान के 'गरासिया' जनजाति, छत्तीसगढ़ की 'मोरिया' जनजाति, झारखंड के 'मुंडा' एवं 'कोरवा' जनजाति एवं पूर्वोत्तर भारत के अन्य आदिवासी इलाकों में हज़ार सालों से है । दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अब तक यह प्रथा हाशिये के समाज की प्रथा रही है इसलिए मुख्य धारा का समाज इससे अनभिज्ञ था परंतु वर्तमान समय में संज्ञान में होते हुए भी इसके प्रति उपेक्षा का भाव रखता है । झारखंड के आदिवासियों ने वर्षों पूर्व उत्तर बंगाल वह पूर्वोत्तर भारत के अन्य हिस्सों में पलायन के साथ-साथ अपनी प्रथा को उन इलाकों में जीवित रखा । उनके लिए लिव-इन जीवन पर्यंत साथ निभाने का एक संबंध है । उनके यहाँ इस प्रथा की शुरुआत 'फियर ऑफ़ कमिटमेंट' के कारण न होकर आर्थिक दबाव से बचने के लिए हुआ था ।

झारखंड में लिव-इन के लिए 'ढुकु' शब्द का चलन है । बिना शादी के साथ रह रहे जोड़े को 'ढकुनी' और ढुकुआ' कहा जाता है । ढुकु शब्द का अर्थ है 'ढुकना' अर्थात 'घुसना' । महिला जब अपनी इच्छा से अपनी पसंद के पुरुष के घर जाकर रहने लगती है, तो इसे 'ढुकुनी' कहते हैं । इसके अंतर्गत वे जीवन पर्यंत का साथ स्वीकार करते हैं । जीवन पर्यंत वे अपने पार्टनर के साथ रहने और बच्चों के जन्म से लेकर उनके बड़े होने तक की सभी ज़िम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं ।

कई मामले में 'ढुकु' जोड़े अधेड़ उम्र में जाकर विवाह करते हैं, तो कई जोड़े जीवन पर्यंत लिव–इन में ही रहते हैं । वे इस संबंध में बिना किसी बाध्यता के जीवन पर्यंत का साथ चुनते हैं । आदिवासियों के बीच इस प्रथा का जन्म विवाह में पड़ने वाले आर्थिक दबाव से बचने के लिए हुआ था । आदिवासी समाज में मुख्य धारा की दहेज प्रथा के विपरीत, विवाह के समय स्त्री पक्ष को दहेज देकर लड़की को घर लाया जाता है । अत: हड़िया पिलाने, भोज खिलने एवं दहेज़ देने में लाखों का खर्च वहन करने से बचने के लिए युवक–युवती आपसी सहमति से साथ रहने लगते हैं । यह एक तरह से मुख्य धारा के समाज के लिए उदाहरण है कि कैसे दो दिन के दिखावे के लिए लाखों का कर्ज़ लेकर अपना सुकून बरबाद न कर साधारण तरीक़े से भी साथ निभाने की शुरुआत हो सकती है । वर्तमान समय में प्रेमी युगल एक–दूसरे को समझने, शारीरिक एवं भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ती के लिए भी लिव–इन में रहते हैं । ध्यान देने वाली बात यह है कि आज के समय में मुख्य धारा के अधिकतर युवक– युवती लिव–इन रिलेशनशिप में आर्थिक दबाव के कारण नहीं अपितु 'फियर ऑफ़ कमिटमेंट' के कारण आते हैं । अत: यह चिंता का विषय हैं कि प्रतिबद्धता से डरने वाली युवा पीढ़ी अपने लिव इन पार्टनर और बच्चों की ज़िम्मेदारी किस तरह निभाएंगे । इसी संदर्भ में 'लिव–इन रिलेशनशिप' कहानी में 'याशी' की माँ का कथन प्रासंगिक जान पड़ता है– " याशी, स्त्री पुरुष का साथ जब तक नियमबद्ध बंधन में न हो, तब तक एक तरह का व्याभिचार ही होता है । भारतीय संस्कृति में विवाह के बंधन को इसलिए पवित्र और सुदृढ़ माना गया है क्योंकि वह स्त्री पुरुष को केवल एक–दूसरे के प्रति समर्पित रहकर, समाज और परिवार के आशीर्वाद से परिपूर्ण होकर गृहस्थ जीवन यापन करने देने की नियमबद्ध संस्था है । स्त्री का यौवन हमेशा नहीं रहता और पुरुष का भ्रमर मन यदि बहक जाए तो उसे रोकने–बाँधने को बंधन तो होना चाहिए ।"[2] पूर्वाग्रहों से भरी होने के बावजूद भी 'याशी' की माँ की बात को नज़रंदाज़ नहीं किया जा सकता ।

हिंदी कथा साहित्य एवं सिनेमा में भी लिव–इन रिलेशनशिप का चित्रण है, हालाँकि जिस गति से लिव–इन रिलेशनशिप दिन–प्रतिदिन युवाओं में ख्याति प्राप्त कर रहा है उसकी तुलना में अभी इस दिशा में बहुत कम लिखा गया है । प्रेमचंद की दूरदर्शिता ही है कि उन्होंने आज से सत्तर–अस्सी वर्ष पूर्व ही 'गोदान' में 'मालती' व 'मेहता' के माध्यम से लिव–इन रिलेशनशिप से समाज को परिचित करवाया था । साथ ही प्रेमचंद ने ही मालती और मेहता के लिव–इन रिलेशनशिप की संभावनाओं को टटोलते हुए इसकी अगली कड़ी के रूप में 'मिस पद्मा' कहानी लिखी । लिव–इन रिलेशनशिप की तात्कालिक रूपरेखा 'मालती' के इस कथन में देखी जा सकती है – " नहीं मेहता मैं महीनों से इस प्रश्न पर विचार कर रही हूँ और अंत में मैंने यह तय किया है कि मित्र बनकर रखना स्त्री पुरुष बनकर रखने से कहीं अधिक सुखकर है ।...इस संबंध का घाट न होगा बोलो मुझे क्या आदेश देते हो ।"[3] 'मालती' और 'मेहता' के इस संवाद से स्पष्ट हो जाता है कि वे विवाह के संबंध में बंधे बिना ही एक–दूसरे के साथ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं । उनका संबंध लोक–लाज, सामाजिक दबाव एवं सामाजिक तिरस्कार से परे अन्त:करण की शुद्ध भावना पर आधारित है जबकि 'मिस पद्मा' कहानी के दोनों पात्र लिव–इन के व्यवहारिक समस्याओं को उजागर करते हैं । 'पद्मा' चाहती है कि वह प्रसाद से प्रेम संबंध रखे किंतु वह उस पर कोई दबाव, बंधन या बेड़ियां न डालें और प्रसाद भी इस रिश्ते में 'पद्मा' से यही उम्मीद रखता है । 'प्रसाद' ख़ुश है क्योंकि इस संदर्भ में उसके विचार भी 'पद्मा' के समान ही है । वह भी नहीं चाहता कि वह एक स्त्री विशेष से बँधा रहे । 'पद्मा' आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त वक़ील है । उसे 'प्रसाद' से धन की लालसा नहीं अपितु प्रेम की आशा है जबकि इसके विपरीत प्रसाद 'पद्मा' के धन के प्रति आकर्षित होकर उसके साथ लिव–इन में रहता है ।'पद्मा' जब गर्भवती हो जाती है तब 'प्रसाद' को वह अप्रिय लगने लगती है । 'प्रसाद' ने 'पद्मा' के धन एवं शरीर से प्रेम किया था, न की उसकी भावनाओं से । 'प्रसाद' के इस रवैये से क्षुब्ध होकर 'पद्मा' की जो दशा होती है प्रेमचंद ने उसे इन शब्दों में व्यक्त किया है, "पद्मा के लिए मातृत्व अब बड़ा ही अप्रिय प्रसंग था । उस पर एक चिंता मँडराती रहती है । कभी–कभी

वह भय से काँप उठती और पछताती । 'प्रसाद' की निरंकुशता दिन-दिन बढ़ती जाती थी ।"[4] 'पद्मा' का इस तरह भय से काँपना स्वाभाविक था क्योंकि 'पद्मा' के हॉस्पिटल में रहने के दौरान 'प्रसाद' ने खुलकर अन्य युवतियों से संबंध स्थापित करना शुरू कर दिया था एवं 'पद्मा' के पैसे को पानी की तरह बहा रहा था । 'पद्मा' ने जब बच्चे को जन्म दिया और हास्पिटल की फ़ीस भरने के लिए पैसे ढूंढें तो पता चला कि 'प्रसाद' उसका बैंक एकाउंट ख़ाली कर, सारे पैसे लेकर किसी अन्य युवती के साथ भाग गया है । प्रेमचंद का इशारा इस ओर है कि दोनों के इस त्रासद संबंध का परिणाम अंतत: उस नवजात शिशु को ही भुगतना पड़ेगा । इस घटना के बाद 'पद्मा' के लिए मातृत्व सबसे अप्रिय संदर्भ हो गया । जो स्त्री अपनी संतान को विश्वाशघात की निशानी के रूप में देखती हो, वह संतान के प्रति स्वाभाविक जुड़ाव महसूस नहीं सकती ।

प्रेमचंद की अगली पीढ़ी के कहानीकारों में जैनेंद्र ने 'त्यागपत्र' उपन्यास में इस ओर इशारा किया है । इस उपन्यास में 'मृणाल' के संदर्भ में विवाह एवं लिव-इन दोनों ही संबंधों का चित्रण हुआ हुआ है । किसी के साथ प्रेम संबंध में होने के बावजूद 'मृणाल' के भाई-भाभी उसकी शादी 'दहाजू' से करवा देते हैं । 'मृणाल' उसे ही अपना भाग्य समझ कर पूरी शिद्दत से उस रिश्ते को निभाने की कोशिश करती है परंतु एक दिन उसका पति-परमेश्वर हमेशा के लिए उसे छोड़ कर कहीं चला जाता है । इसके बाद 'मृणाल' किसी 'कोयला वाले' के घर जाकर उसके साथ रहने लग जाती है । 'मृणाल' और 'कोयला वाले' के संबंध को अवैध संबंध की सूचि में नहीं रख सकते क्योंकि 'मृणाल' लोक-लज्जा के डर से उससे छिप-छिपाकर नहीं मिलती हैं बल्कि डंके की चोट पर उसके घर में, उसके साथ रहने लगती है । इस दौरान जब वह गर्भवती हो जाती है तब 'कोयला वाला' उसका सारा धन हड़प कर भाग जाता है । यह घटना प्रेमचंद की 'मिस पद्मा' की याद दिलाता है । 'प्रसाद' भी गर्भावस्था में 'पद्मा' का सारा धन लेकर भाग जाता है । इसके पीछे एक कारण यह भी हो सकता है कि मांसल सौन्दर्य से आकर्षित पुरुष गर्भावस्था में उसे बेडौल होता देख अपने लिए कोई और ठिकाना तलाशने लगता है । चूँकि धन-धान्य से संपन्न 'पद्मा' हो या विपन्नता की शिकार 'मृणाल', उनके जीवन में आए पुरुष (प्रसाद और कोयला वाला) ने उनका शोषण ही किया है । कोयले वाले ने या फिर प्रसाद ने एक बार भी अपने होने वाले संतान के बारे में नहीं सोचा, यदि सोचा होता तो अपने पार्टनर को ऐसी अवस्था में छोड़ कर नहीं जाते । जो समाज 'पद्मा' को उच्च श्रृंखल कह कर उससे सहानुभूति नहीं रखता वही समाज क्यों 'मृणाल' को अपनी मौत मरने के लिए छोड़ देता है । 'मृणाल' का जीवन तो विवाह और लिव-इन की असफल प्रयोगशाला बन कर रह गई । उसने सामाजिक संस्कार के तहत विवाह किया, 'दहाजू' की संस्कारी एवं आदर्श पत्नी बनने की पूरी कोशिश की, बावजूद इसके 'दहाजू' उसे त्याग कर चला गया । इस तिरस्कार के बाद 'मृणाल' अपने जीवन में रंग भरने क लिए 'कोयला वाले' का साथ चुनती है । वह उसके साथ, उसके घर में जीवन की नई शुरुआत करती है । विवाह के बंधन में बंधे बिना वह जीवनसाथी का साथ चाहती है किंतु कोयला वाला भी गर्भवती 'मृणाल' को छोड़कर चला जाता है । गर्भ धारण के पश्चात् स्त्री (मृणाल) देह में पहले सा आकर्षण न पा कर 'कोयला वाले' की तरह न जाने कितने पुरुष अपनी प्रेमिकाओं को त्याग देते हैं । इस बीच न ही वे गर्भ में पल रहे संतान के प्रति चिंतित होते हैं न गर्भवती साथी के प्रति । ऐसे में जन्म से पहले ही बच्चे पिता नाम के संबंध से वंचित हो जाते हैं । जिस प्रकार 'मृणाल' का पति गायब हुआ था उसी प्रकार 'कोयला वाला' भी परिदृश्य से गायब हो जाता है । साहस जुटा कर जीवन को दूसरा मौक़ा देने वाली 'मृणाल' का त्रासद अंत देख कर ऐसा लगता है कि स्त्री के साहस को दु;साहस समझने वाला समाज उसे माफ़ नहीं करता, वह हर मोड़ पर उसे अपराध-बोध से भर देना चाहता है । ऐसे में सर्वाधिक चिंता का विषय लिव-इन से उत्पन्न संतान है, जिसकी उपस्थिति में माँ अपने लिव-इन पार्टनर के प्रति और घृणा भाव से भर जाएगी । जीवन में पिता के न होने पर बच्चे का समाजिक जीवन दूभर हो जाएगा । 'पद्मा' चाहती है कि वह 'प्रसाद' से प्रेम संबंध

रखे किंतु वह उस पर कोई दबाव, बंधन या बेड़ियां न डालें और प्रसाद भी इस रिश्ते में 'पद्मा' से यही उम्मीद रखता है । 'प्रसाद' ख़ुश है क्योंकि इस संदर्भ में उसके विचार 'पद्मा' से मिलते-जुलते हैं । वह भी नहीं चाहता कि वह एक स्त्री विशेष से बँधा रहे । 'पद्मा' आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त वक़ील है । उसे 'प्रसाद' से धन की लालसा नहीं बल्कि प्रेम की आशा है, जबकि इसके विपरीत प्रसाद 'पद्मा' के धन से आकर्षित होकर उसके साथ संबंध स्थापित करता है । उसने 'पद्मा' के धन एवं देह से प्रेम किया था, न की उसकी भावनाओं और संवेदनाओं से । तभी गर्भवती 'पद्मा', 'प्रसाद' को अप्रिय लगने लगती है । 'प्रसाद' के इस रवैये से क्षुब्ध होकर 'पद्मा' की जो दशा होती है प्रेमचंद ने उसे इन शब्दों में व्यक्त किया है "पद्मा के लिए मातृत्व अब बड़ा ही अप्रिय प्रसंग था । उस पर एक चिंता मँडराती रहती है । कभी-कभी वह भय से काँप उठती और पछताती । 'प्रसाद' की निरंकुशता दिन-दिन बढ़ती जाती थी ।" 'पद्मा' का इस तरह भय से काँपना स्वाभाविक था क्योंकि 'पद्मा' के हॉस्पिटल में रहने के दौरान 'प्रसाद' ने खुलकर अन्य युवतियों से संबंध स्थापित करना शुरू कर दिया था एवं 'पद्मा' के पैसे को पानी की तरह बहा रहा था । 'पद्मा' ने जब बच्चे को जन्म दिया और हास्पिटल की फ़ीस भरने के लिए पैसे ढूंढें तो पता चला कि 'प्रसाद' उसका बैंक एकाउंट ख़ाली कर, सारे पैसे लेकर किसी अन्य युवती के साथ भाग गया है । प्रेमचंद का इशारा इस ओर है कि दोनों के इस त्रासद संबंध का परिणाम अंततः उस नवजात शिशु को ही भुगतना पड़ेगा ।

कथा साहित्य से इतर सिनेमा की ओर रुख करें, तो पाएंगे कि हिंदी सिनेमा ने दो दशक पूर्व ही इस संदर्भ में मुखरता से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है । 'सलाम नमस्ते' फिल्म में 'अंबर' और 'निखिल' के बीच तब तक मधुर संबंध थे जब तक उनके बीच जवाबदेही का कोई संदर्भ नहीं था । 'अंबर' द्वारा बच्चे के जन्म देने का निर्णय 'निक' के जीवन में तूफ़ान ले आता है । यह फ़िल्म लिव-इन पार्टनर के मुकर जाने की स्थिति में स्त्री पक्ष के ऊहापोह, परेशानियों और मानसिक अवसाद को दर्शाती है । साथ ही 'मेन विल बी मेन' के फ़ेज़ को और पुख़्ता करती है । सामान्यतः पुरुष यौन इच्छाओं (सेक्शुअल डिज़ायर) की पूर्ति हेतु लिव-इन में आते हैं । 'निक' भी अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ती के लिए 'अंबर' के साथ संबंध स्थापित करता है । वह बच्चे की ज़िम्मेदारी नहीं चाहता । जिम्मेदारियों से भागना उसके व्यक्तित्व का नकारात्मक पहलू है । 'निक' का ग़ैर-ज़िम्मेदाराना रवैया, भावनात्मक शून्यता, आत्मकेंद्रित व्यक्तित्व, झुंझलाहट, पार्टनर को समझने की कोशिश न करना, उसके कमज़ोर व्यक्तित्व को दर्शाता है । जिस उत्तरदायित्व से मुक्ति के लिए 'अंबर' लिव-इन में आया था स्वयं को उन्हीं में फँसा हुआ देखकर झुँझला उठता है । 'निक' का चरित्र उन तमाम पुरुषों का द्योतक है, जो लिव-इन में रहने के लिए तैयार हो जाते हैं लेकिन बच्चे, परिवार एवं जीवन की अन्य ज़िम्मेदारियों से भागते हैं । हालाँकि ऐसे पुरुष भी हैं, जो सूझ-बूझ से अपने लिव-इन पार्टनर के साथ ताल-मेल बैठाकर जीवन यापन कर रहे हैं । ध्यान देने वाली बात यह है कि 'अंबर' जैसी महिलाएं गर्भावस्था का पूरा समय जिस अवसाद में व्यतीत करती हैं, उसके परिणामस्वरूप उसके व्यवहार में (माँ के रूप में) झुँझलाहट, अनिश्चितता, असामान्यता स्वाभाविक है । इस प्रकार के व्यवहार से बच्चे का मानसिक व शारीरिक विकास सहज ही बाधित होगा । ऐसे बच्चे बड़े होकर समाज में 'बुलिइंग' के शिकार भी होते हैं, क्योंकि न्यायिक मान्यता के बावजूद समाज ने अभी भी लिव-इन को सामाजिक मान्यता नहीं दी है । अब भी समाज लिव-इन में रह रहे दंपति की संतान को 'बिन ब्याहे माँ-बाप की संतान' ही मानता है । पूर्वोत्तर भारत व झारखंड के कुछ हिस्सों में रहने वाली अनुसूचित जाति व जनजाति लिव-इन संस्कृति में सदियों से रहते आए हैं । उनकी संस्कृति में शादी ब्याह के बदने 'ढुक्कु' का चलन है । जिसके तहत स्त्रियाँ शादी के बिना ही अपने पसंदीदा पुरुष के घर

जाकर रहने लग जाती है । चूँकि उनकी संस्कृति में यह कोई आपत्तिजनक कृत्य नहीं है इसलिए उनका समाज इस पर कोई आपत्तिजनक प्रतिक्रिया नहीं देता है ।

संबंधों को दीर्घायु बनाने के लिए किसी सामाजिक बंधन की आवश्यकता नहीं होती, यदि ऐसा होता तो किसी विवाहिता का जीवन त्रासद मोड़ पर समाप्त न होता । हाँ! सामाजिक स्वीकृति के कारण वैवाहिक जोड़ों के बीच अनबन की स्थिति में परिवार एवं समाज एक हद तक अपनी भागीदारी सुनिश्चित करता है किंतु सामाजिक स्वीकृति न होने के कारण समाज लिव-इन के संदर्भ में आलोचना और लांछना से काम चला लेता है । संतुलित दांपत्य के लिए स्त्री से बड़े से बड़ा बलिदान चाहने वाला समाज, विवाह के बंधन में घुटती स्त्री का आलाप नहीं सुनना चाहता और 'लिव-इन रिलेशन' में असफल जोड़े को सामाजिकता और संस्कार की दुहाई देते नहीं थकता । विवाह हो या लिव-इन, दोनों ही संदर्भों में पुरुष को स्त्री-देह से ऊपर उठना होगा ।

सन्दर्भग्रन्थ-

1. श्याम बहादुर वर्मा, प्रभात वृहद् कोष, प्रभात प्रकाशन नई दिल्ली 2008,पृष्ठ 2507
2. अपर्णा शर्मा, लिव-इन रिलेशनशिप, Amstel Ganga, amstelganga.org
3. प्रेमचंद, गोदान, वाणी प्रकाशन, दिल्ली 2007, पृष्ठ 350-351
4. जैनेन्द्र, त्यागपत्र